//न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश,शिवपुरी जिला शिवपुरी(म0प्र0)//
(समक्ष–एस0के0गुप्ता)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक–01/2018
संस्थित दिनांक 03.01.2018
सी.एन.आर.एम.पी.33010018/2018
फायलिंग नम्बर सी.आर.आर./12/2018

कालीचरण कुशवाह पुत्र श्री श्यामसिंह कुशवाह,
आयु 24 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी,
निवासी ग्राम नौहरीचक थाना कोतवाली,
शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0

-----------------पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त

//बनाम//

म0प्र0 राज्य द्वारा मजिस्ट्रेट----------- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियोजक

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री नदीम कुरेशी अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री वीरेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक।

//आदेश//

(आज दिनांक 27.02.2018 को घोषित किया)

1– यह पुनरीक्षण याचिका, ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी (श्री रविन्द्र कुमार शर्मा) के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–1505/2016 इ0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 का निरस्त किया गया, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

2– विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2016 को दोपहर 13:17 बजे फरियादी ने अन्य लोगों के साथ थाना सतनवाड़ा जिला शिवपुरी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि उसकी पुत्री नंदनी, संजना तथा वीरसिंह की पुत्री नैनसी स्कूल में पढ़ने

जा रही थी, तभी कालीमाता मंदिर के पास मोटरसायकिल क्रमांक एम0पी0–33/एम0एम0–5789 के चालक ने मोटरसायकिल को तेजी और लापरवाही से चलाकर तीनों बच्चियों के टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आंई। जिस पर से थाना सतनवाड़ा के अपराध क्रमांक 171/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के उपरांत पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिस पर से विचारण न्यायालय के द्व ारा पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 2801505/16 इ0फौ0 कायम किया। जिसमें दिनांक 22.12.2017 को आवेदक द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर साक्षीगण को पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाये जाने का निवेदन किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई।

3– पुनरीक्षण के मुख्य रूप से आधार यह रहे हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 विधि विधान एवं पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.04.2017 को ग्राम न्यायालय की बैठक सतनवाड़ा में प्रस्तुत होने पर साक्षी संजना (अ0सा01), नैनसी (अ0सा02), राजू (अ0सा03) के न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुए, लेकिन उक्त तीनों साक्षीगणों से प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका तथा बिना प्रतिपरीक्षण किये अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य ही खत्म कर दी। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता जिला मुख्यालय पर अन्य प्रकरणों में पैरवी हेतु व्यस्थ थे। इस कारण वह दिनांक 21.04.17 को विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सके। जबकि उक्त तीनों साक्षीगणों से प्रतिपरीक्षण होना आवश्यक है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2017 को निरस्त कर तीनों साक्षीगणों को तलब कराये जाने व प्रतिपरीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4– पुनरीक्षण में उठाये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–1505/2016 इ0फौ0 शाासन विरूद्ध कालीचरण का अवलोकन किया गया। याचिका के निराकरण में मुख्य रूप से यह प्रश्न विचारणीय है किः–

क्या विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 22.12.2017 विधि विधान प्रक्रिया के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है?

सकारण निष्कर्षः–

5– उभयपक्ष के तर्क सुने गये। विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 21.04.2017 को प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियोजन के तीन साक्षी संजना (अ0सा0–1), नैनसी (अ0सा0–2) एवं राजू (अ0सा0–3) उपस्थित हुए थे और उक्त दिनांक को पुनरीक्षणकर्ता कालीचरण भी स्वयं उपस्थित था तथा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण भी किया गया। यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता ने तीनों साक्षियों से कोई प्रश्न नहीं पूछे। दिनांक 22.12.2017 को पुनरीक्षणकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 311 दं0प्र0सं0 का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि, दिनांक 21.04.2017 को उनके अधिवक्ता सत्र न्यायालय शिवपुरी में व्यस्थ थे। इस कारण वह दिनांक 21.04.2017 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। अतः दिनांक 21.04.2017 को उपिस्थत तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विचार करते हुए यह व्यक्त किया कि, तीनों साक्षियों के उपस्थित होने पर अभियुक्त को अपने अधिवक्ता को बुलाये जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने पर उसके द्वारा किसी अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षण हेतु न बुलाया जाकर स्वयं प्रतिपरीक्षण किया गया तथा उक्त दिनांक को उसकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता की अनुपस्थिति का भी कोई कारण प्रकट नहीं किया। अतः उचित आधार न होने से आवेदन निरस्त कर दिया।

6– अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश

पत्रिका दिनांक 21.04.17 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण कार्यवाही में स्वयं उपस्थित था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को उपस्थित साक्षीगणों से स्वयं प्रतिपरीक्षण किया गया तथा उसके द्वारा अपने अधिवक्ता की अनुपस्थिति के संबंध में कोई आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित में प्रस्तुत नहीं किया एवं मौखिक रूप से भी अपने अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कोई कारण अधनीस्थ न्यायालय को नहीं बताया तथा पूर्व अधिवक्ता के अनुपस्थित होने पर दूसरे अधिवक्ता से पैरवी करवाने हेतु भी कोई लिखित या मौखिक आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 21.04.17 को ही पुनरीक्षणकर्ता को उक्त तथ्यों की जानकारी थी और इसके बावजूद भी उसके द्वारा दिनांक 22.12.17 को आवेदन प्रस्तुत किया। इससे दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता की अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में पैरवी कराये जाने की कोई मंशा नहीं थी।

7— प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि, प्रश्नगत आदेश अंतर्वर्ती आदेश है और उसके विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रचलन योग्य नहीं है। इसके विपरीत पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त तर्क का खंडन किया। न्यायदृष्टांत **''भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरूद्ध भिवानी डेनिम 2003(1)जे0एल0जे0 56''** के मामाले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि, कोई आदेश मात्र इस कारण अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो जाता कि, वह प्रकरण की अंतर्वर्ती अवस्था में पारित किये गये, बल्कि उनका उचित परीक्षण यह है कि, पुनरीक्षण करने वाले पक्षकार का पक्ष मान लिया जाता है तो, दांडिक कार्यवाही उस बिंदु पर समाप्त हो जायेगी। यदि ऐसा होता है तो ऐसा आदेश अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहलायेगा। न्यायदृष्टांत **''सेतुरमन विरूद्ध राजा मानिककम 2009(5) एस0सी0सी0 153''** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मत व्यक्त किया कि धारा 91 एवं 311 दं0प्र0सं0 के आवेदन

पर पारित आदेश अंतर्वर्ती आदेश होते हैं और उनके विरूद्ध पुनरीक्षण धारा 397(2) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि इन आवेदनों पर पारित आदेश किसी भी तथ्य का अंतिम रूप से निराकृत नहीं करते।

8– अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का या विधिक प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो तथा उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मत को देखते हुए प्रश्नगत आदेश अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है। जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रचलन योग्न नहीं है। अतः उक्त स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

9– आदेश की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(एस0के0गुप्ता)
षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी,म.प्र.।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(एस0के0गुप्ता)
षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी,म.प्र.।

सोनम/स्टेनो

प्रतिलिपिः–

आदेश की प्रतिलिपि ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी (श्री रविन्द्र कुमार शर्मा) को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

(एस0के0गुप्ता)
षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी,म.प्र.।